

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठारसीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोघर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 500 सन 2022

अनवान :-

1. वेदप्रकाश सुथार पुत्र बहादुरसिंह जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर ।
वादी

बनाम

1. जगदीश चन्द्र सुथार पुत्र बहादुरसिंह जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर
2. भूपेन्द्र सिंह सुथार पुत्र बहादुरसिंह जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर
3. भगवती देवी पत्नी सन्तलाल जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर
4. कमल कान्त पुत्र सन्तलाल जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर
5. चन्द्र प्रकाश सुथार पुत्र सन्तलाल जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर/रावतसर जिला हनुमानगढ ।
प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 30/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी ए के खाता संख्या 46/41 की कुल 2.7835 हैक व चक 20 आरडब्ल्यूडी बी के खाता संख्या 65/65 की कुल 3.795 हैक व रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 38/26 की कुल 3.795 हैक व रोही मौजा गन्धेली बारानी के खाता संख्या 439/469 की कुल 4.197 हैक व खाता संख्या 217/212 की कुल 0.759 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम मुश्तरका खाते में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का काश्त/सिचाई एव आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा कर लिया जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है इसी अनुसार वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 काश्त करते आ रहे है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कई मर्तबा कहा की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के मध्य हुए बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने आपसी सहमति से भूमि काश्त/सिचाई सुविधा व आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि बाहमी बटवारा किया हुआ है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है इसी अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी ए के खाता संख्या 46/41 की कुल 2.7835 हैक व चक 20 आरडब्ल्यूडी बी के खाता संख्या 65/65 की कुल 3.795 हैक व रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 38/26 की कुल 3.795 हैक व रोही मौजा गन्धेली बारानी के खाता संख्या 439/469 की कुल 4.197 हैक व खाता संख्या 217/212 की कुल 0.759 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम मुश्तरका खाते में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का काश्त/सिचाई एव आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा कर लिया जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है इसी अनुसार वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 काश्त करते आ रहे है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी ए के खाता संख्या 46/41 की कुल 2.7835 हैक व चक 20 आरडब्ल्यूडी बी के खाता संख्या 65/65 की कुल 3.795 हैक व रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 38/26 की कुल 3.795 हैक व रोही मौजा गन्धेली बारानी के खाता संख्या 439/469 की कुल 4.197 हैक व खाता संख्या 217/212 की कुल 0.759 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।


वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्त्त 2071-2074 के खाता संख्या 46/41 के कुल खसरे 13 कुल 2.7835 है0 भूमि में से प्रतिवादी सं0 4, 5 का नाम कलमजन किया जाकर प.न. 237/400 के मु.न. 1 की किला न. 3 की 0.253, 8/1 की 0.190, 25 के मिन पूर्व की 0.241 वा 25 के मिन पश्चिम की 0.012 गैर मु. रास्ता कुल 0.696 है0 भूमि वादी को वा प.न. 237/400 मु.न. 1 की किला न. 14/1 के मिन पश्चिम की 0.1448 है0, किला न. 14/1 के मिन पूर्व की 0.007 है0 गैर मु. रास्ता वा 17 के मिन पश्चिम की 0.241, वा 17 के मिन पूर्व की 0.012 है0 गैर मु. रास्ता, 24 के मिन पश्चिमी दक्षिणी की 0.252, व किला न. 24 की मिन 0.001 है0 (उतरी पूर्वी कौना) गैर मु. रास्ता कुल 0.6578 है0 भूमि प्रतिवादी सं0 1 वा प.न. 237/400 के मु. न. 1 के किला न. 4 की 0.253, 7/1 की 0.2277, वा प.न. 237/401 के मु.न. 14 के किला न. 5/1 की 0.228, 5/2 की 0.025 गैर मु. खाला कुल 0.7337 है0 भूमि प्रतिवादी सं0 2 वा प.न. 237/400 के मु. न. 1 के किला न. 13/1 की 0.190, 18 की 0.253 वा 23 की 0.253 कुल 0.

696 है0 भूमि प्रतिवादी सं0 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। 20 आरडब्ल्यूडी बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 65/65 के कुल खसरा 15 कि 3. 795 है0 भूमि में वादी वा प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे वा 18 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 के खाता संख्या 38/26 के कुल खसरे 18 की 3.795 है0 भूमि के प.न. 237/396 के मु.न. 19 के किला न0 10 की मिन पूर्वी दक्षिणी की 0.222, 8 ता 9 प्रत्येक की 0.253 प.न. 236/396 के मु.न. 18 के किला न. 6/1 के मिन उतर की 0.182 कुल 0.910 है0 वादी वा प.न. 237/396 के मु.न. 19 के किला न. 21 ता 23 प्रत्येक की 0.253, प.न. 236/396 के मु.न. 18 के किला न. 16/1 की मिन दक्षिण की 0.151 कुल 0.910 है0 भूमि प्रतिवादी सं0 1 वा प.न. 237/396 के मु.न. 19 के किला न. 20 की मिन पूर्व की 0.241 है0, किला न. 18, 19 प्रत्येक 0.253 वा प.न. 236/396 के मु.न. 18 के किला न. 15/1 के मिन दक्षिणी पश्चिमी की 0.093 है0, 16/1 के मिन उत्तरी पश्चिमी की 0.070 है0 कुल 0.910 है0 भूमि प्रतिवादी सं0 2 को वा प.न. 237/396 के मु.न. 19 के किला न. 11 के मिन पूर्व की 0.241 है0 वा किला न. 12, 13 प्रत्येक की 0.253 है0 प.न. 236/396 के मु.न. 18 के किला न0 15/1 के मिन उतर पश्चिम की 0.123 है0, किला न. 6/1 के मिन पश्चिमी दक्षिणी की 0.040 है0 कुल 0.910 है0 भूमि प्रतिवादी सं0 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे वा प.न. 236/396 के मु.न. 18 के किला न. 6/2 की 0.025 गैर मु. खाला वा किला न. 15/2 की 0.025 गैर मु. खाला व किला न. 16/2 की 0.025 गैर मु. खाला वा प.न. 237/396 के मु.न. 19 के किला न. 10, 11, 20 प्रत्येक के मिन पश्चिम 0.012 गैर मु. रास्ता वा प.न. 236/396 के मु.न. 18 के किला न. 6/1 के मिन पूर्वी दक्षिणी 0.006 है0 गैर मु. रास्ता, 15/1 के मिन पूर्व की 0.012 है0 गैर मु. रास्ता वा 16/1 के उतरी पूर्वी के 0.007 है0 गैर मु. रास्ता वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे वा प.न. 237/396 के मु.न. 19 के किला न. 10 के मिन उतर की 0.019 है0 भूमि वादी व प्रतिवादी 1 ता 5 के यथावत रहेंगी व रौहि मौजा गन्धेली बाराणी तहसील रावतसर के जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 के खाता संख्या 439/469 के कुल खसरे 17 कि 4.197 है0 भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर प.न. 242/413 के मु.न. 6 के किला न. 1, 10, 11 प्रत्येक की 0.253 है0 वा किला न. 20 कि मिन पश्चिम की 0.063 है0 वा किला न. 21/2 की मिन पश्चिम 0.057 है0 कुल 0.879 है0 वादी वा प.न. 242/413 के मु.न. 6 के किला न. 7, 8, 13, 14, 17, 18 प्रत्येक 0.253 है0 वा 24/2 की 0.227 है0 कुल 1.745 है0 भूमि प्रतिवादी 2 को वा प.न. 242/413 के मु.न. 6 के किला न. 9, 12, 19 प्रत्येक 0.253 है0 वा 20 की मिन पूर्व 0.190 है0 वा 21/2 की मिन पूर्व के 0.170 है0 22/2 की 0.227 वा 23/2 की 0.227 कुल 1.573 है0 भूमि प्रतिवादी सं0 3, 4, 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खाता संख्या 217/212 कि कुल खसरे 3 की कुल 0.759 है0 भूमि में से प्रतिवादीगण 1 ता 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय बाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/6/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया

गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ला दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. वेदप्रकाश सुथार पुत्र बहादुरसिंह जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. जगदीश चन्द्र सुथार पुत्र बहादुरसिंह जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर
2. भूपेन्द्र सिंह सुथार पुत्र बहादुरसिंह जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर
3. भगवती देवी पत्नी सन्तलाल जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर
4. कमल कान्त पुत्र सन्तलाल जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर
5. चन्द्र प्रकाश सुथार पुत्र सन्तलाल जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर/रावतसर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 500 सन 2022 निर्णय दिनांक- 30/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 20 आरडब्ल्यूडी ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 के खाता संख्या 46/41 के कुल खसरे 13 कुल 2.7835 है0 भूमि में से प्रतिवादी सं0 4, 5 का नाम कलमजन किया जाकर प.न. 237/400 के मु.न. 1 की किला न. 3 की 0.253, 8/1 की 0.190, 25 के मिन पूर्व की 0.241 वा 25 के मिन पश्चिम की 0.012 गैर मु. रास्ता कुल 0.696 है0 भूमि वादी को वा प.न. 237/400 मु.न. 1 की किला न. 14/1 के मिन पश्चिम की 0.1448 है0, किला न. 14/1 के मिन पूर्व की 0.007 है0 गैर मु. रास्ता वा 17 के मिन पश्चिम की 0.241, वा 17 के मिन पूर्व की 0.012 है0 गैर मु. रास्ता, 24 के मिन पश्चिमी दक्षिणी की 0.252, व किला न. 24 की मिन 0.001 है0 (उतरी पूर्वी कौना) गैर मु. रास्ता कुल 0.6578 है0 भूमि प्रतिवादी सं0 1 वा प.न. 237/400 के मु.न. 1 के किला न. 4 की 0.253, 7/1 की 0.2277, वा प.न. 237/401 के मु.न. 14 के किला न. 5/1 की 0.228, 5/2 की 0.025 गैर मु. खाला कुल 0.7337 है0 भूमि प्रतिवादी सं0 2 वा प.न. 237/400 के मु. न. 1 के किला न. 13/1 की 0.190, 18 की 0.253 वा 23 की 0.253 कुल 0.696 है0 भूमि प्रतिवादी सं0 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। 20 आरडब्ल्यूडी बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 65/65 के कुल खसरा 15 कि 3.795 है0 भूमि में वादी वा प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें वा 18 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 के खाता संख्या 38/26 के कुल खसरे 18 की 3.795 है0 भूमि के प.न. 237/396 के मु.न. 19 के किला न0 10 की मिन पूर्वी दक्षिणी की 0.222, 8 ता 9 प्रत्येक की 0.253 प.न. 236/396 के मु.न. 18 के किला न. 6/1 के मिन उतर की 0.182 कुल 0.910 है0 वादी वा प.न. 237/396 के मु.न. 19 के किला न. 21 ता 23 प्रत्येक की 0.253, प.न. 236/396 के मु.न. 18 के किला न. 16/1 की मिन दक्षिण की 0.151 कुल 0.910 है0 भूमि प्रतिवादी सं0 1 वा प.न. 237/396 के मु.न. 19 के किला न. 20 की मिन पूर्व की 0.241 है0, किला न. 18, 19 प्रत्येक 0.253 वा प.न. 236/396 के मु.न. 18 के किला न. 15/1 के मिन दक्षिणी पश्चिमी की 0.093 है0, 16/1 के मिन उतरी पश्चिमी की 0.070 है0 कुल 0.910 है0 भूमि प्रतिवादी सं0 2 को वा प. न. 237/396 के मु.न. 19 के किला न. 11 के मिन पूर्व की 0.241 है0 वा किला न. 12, 13 प्रत्येक की 0.253 है0 प.न. 236/396 के मु.न. 18 के किला न0 15/1 के मिन उतर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)

पश्चिम की 0.123 है0, किला न. 6/1 के मिन पश्चिमी दक्षिणी की 0.040 है0 कुल 0.910 है0 भूमि प्रतिवादी सं0 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे वा प.न. 236/396 के मु.न. 18 के किला न. 6/2 की 0.025 गैर मु. खाला वा किला न. 15/2 की 0.025 गैर मु. खाला व किला न. 16/2 की 0.025 गैर मु. खाला वा प.न. 237/396 के मु.न. 19 के किला न. 10, 11, 20 प्रत्येक के मिन पश्चिम 0.012 गैर मु. रास्ता वा प.न. 236/396 के मु. न. 18 के किला न. 6/1 के मिन पूर्वी दक्षिणी 0.006 है0 गैर मु. रास्ता, 15/1 के मिन पूर्व की 0.012 है0 गैर मु. रास्ता वा 16/1 के उत्तरी पूर्वी के 0.007 है0 गैर मु. रास्ता वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे वा प.न. 237/396 के मु.न. 19 के किला न. 10 के मिन उत्तर की 0.019 है0 भूमि वादी व प्रतिवादी 1 ता 5 के यथावत रहेंगी व रौहि मौजा गन्धेली बारानी तहसील रावतसर के जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 के खाता संख्या 439/469 के कुल खसरे 17 कि 4.197 है0 भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर प.न. 242/413 के मु.न. 6 के किला न. 1, 10, 11 प्रत्येक की 0.253 है0 वा किला न. 20 कि मिन पश्चिम की 0.063 है0 वा किला न. 21/2 की मिन पश्चिम 0.057 है0 कुल 0.879 है0 वादी वा प.न. 242/413 के मु.न. 6 के किला न. 7, 8, 13, 14, 17, 18 प्रत्येक 0.253 है0 वा 24/2 की 0.227 है0 कुल 1.745 है0 भूमि प्रतिवादी 2 को वा प.न. 242/413 के मु.न. 6 के किला न. 9, 12, 19 प्रत्येक 0.253 है0 वा 20 की मिन पूर्व 0.190 है0 वा 21/2 की मिन पूर्व के 0.170 है0 22/2 की 0.227 वा 23/2 की 0.227 कुल 1.573 है0 भूमि प्रतिवादी सं0 3, 4, 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खाता संख्या 217/212 कि कुल खसरे 3 की कुल 0.759 है0 भूमि मे से प्रतिवादीगण 1 ता 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 नोहर (हनुमानगढ़)